



Neutral Citation Number- 2026:AHC:32149

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5787/2026

मनोज शर्मा

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: आनंद कुमार सिंह, राहुल सिंह

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-6 के विरुद्ध राहत की मांग की गई है, जो कि एक निजी प्रत्यर्थी हैं।
- स मामले को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का उपाय उपलब्ध है।
- तदनुसार, रिट याचिका वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”